न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, जिला कोटा, राजस्थानः–0744–2325871

GCMS ID- 2024/133
मिसल नम्बर–12 / 2024

1.प्रेमबाई आयु 55 वर्ष पत्नी श्री चतुर्भुज मीणा पुत्री गोपाल निवासी मकान नम्बर 6 वी 7, महावीर नगर विस्तार योजना, दादाबाड़ी कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र
(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

–:निर्णयः–

दिंनाकः 23/12/24

उपस्थितिः–

1.श्री तृप्ति गौरव बाहेती अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाकै ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा भू0अ0निरीक्षक अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 97 व पुराना 109 के खसरा नं0 622 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.12 है0, व खसरा नं0 681 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 रकबा 2.26 है0 आराजी स्थित चली आ रही है। उक्त शामलाती खातेदारी की आराजी में प्रार्थीया का 1 / 6 हिस्सा निहित दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीया का घरेलु व बोलता नाम धूली बाई है, जो कि पीहर पक्ष में बोलता घरेलु नाम है, जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम प्रेम बाई है, जो कि प्रार्थीया के सभी दस्तावेज फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैक पासबुक आदि में प्रार्थीया का वास्तविक नाम प्रेमबाई दर्ज है, उक्त कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सहवन व त्रुटिवश घर का बोलता नाम धूली बाई दर्ज हो रहा है, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम प्रेम बाई है,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

०पत्र मू०राजस्व अधि० 136

जो दर्ज न कर सहवनवश प्रार्थीया का घरेलु बोलता नाम धूलीबाई दर्ज कर दिया गया है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का बोलता व घर का नाम धूलीबाई पुत्री गोपाल नाम सहवन से दर्ज हो गया है, जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम प्रेमबाई पुत्री गोपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम प्रेमबाई है, धूलीबाई प्रार्थीया का घरेलु नाम है। यानि धूलीबाई व प्रेमबाई दोनो प्रार्थीया के नाम है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजातों में प्रार्थीया का नाम प्रेमबाई दर्ज है, इस कारण से राजस्व रिकॉर्ड में सहवनवश प्रार्थीया का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से धूलीबाई पुत्री गोपाल दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रार्थीया को उक्त भूमि के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने एवं उक्त भूमि को विकसित आदि करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया का नाम धूलीबाई पुत्री गोपाल के स्थान पर वास्तविक नाम प्रेमबाई पुत्री गोपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाकै ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा भू0अ0निरीक्षक अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 97 व पुराना 109 के खसरा नं0 622 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.12 है0, व खसरा नं0 681 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 रकबा 2.26 है0 के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुऐ प्रार्थीया का गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज नाम धूलीबाई पुत्री गोपाल के स्थान पर प्रार्थीया का वास्तविक नाम प्रेमबाई पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सम्माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी पारित फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा एवं दिगोद से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार दिगोद द्वारा वर्णित किया कि ग्राम वासियानों ने बातया कि ग्राम देवपुरा में प्रार्थिया का नाम धूलीबाई पुत्री गोपाल पत्नि चतुभुर्ज है व दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड में नाम प्रेमबाई पत्नि चतुभुर्ज जाति मीणा दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वासियानों के अनुसार धूली बाई पुत्री गोपाल पत्नि चतुभुर्ज व प्रेमबाई पुत्री गोपाल पत्नि चतुभुर्ज दोनो एक ही महिला है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौराने बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में प्रेम बाई पत्नी चतुभुर्ज के शपथ पत्र पेश हुआ।

उरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि मौके पर ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि धुलीबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी दादाबाड़ी का वास्तवीक व सही नाम प्रेम बाई ही है। परिवारजन से पूछताछ करने पर भी धूलीबाई पुत्री गोपाल का नाम प्रेम बाई पुत्री गोपाल ही बताया गया। गांव में प्रेम बाई पुत्री गोपाल का कोई अन्य महिला मौजूद नहीं है। प्रेम बाई उर्फ धूलीबाई पुत्री गोपाल एक ही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

महिला है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पासबूक का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रेम बाई एवं धूलीबाई एक ही महिला के नाम है। अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा भू0अ0निरीक्षक अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 97 व पुराना 109 के खसरा नं0 622 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.12 है0, व खसरा नं0 681 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 रकबा 2.26 है0 में हिस्सा 1/6 में प्रार्थीया का नाम धूलीबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा के स्थान पर प्रेम बाई उर्फ धूलीबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा दर्ज किया जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★